

भारत में प्रशासनिक सुधार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन



चन्द्रकला शर्मा

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर (राजस्थान)

शोध सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रशासन औपनिवेशिक विरासत के रूप में ब्रिटिश शासन से मिला जो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप था। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक व आर्थिक विकास को स्थापित करना था इसलिए प्रशासन को जन विकेन्द्रीकृत किया जाना आवश्यक था ताकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन में सुधार हो सके तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। प्रशासनिक सुधारों हेतु भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न आयोगों की स्थापना की जिसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के हनुमंतैया के नेतृत्व में गठित किया गया तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया इन्हीं प्रशासनिक सुधारों के क्रम में भारत सरकार ने विभिन्न समितियों का गठन किया, जिनमें ए.डी. गोरेवाल समिति, पॉल एप्पलेबी रिपोर्ट कोठारी समिति, संथानम समिति इत्यादि प्रमुख थी वर्तमान समय में भी भारत सरकार के द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। ताकि प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील व उत्तरदायी बनाया जा सके। भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जिनमें, मिशन कमयोगी, ई-समीक्षा, सिटीजन चार्टर, सुशासन सूचकांक ई-ऑफिस प्रमुख हैं।

संकेताक्षर—एचिसन आयोग, ओ.एण्ड.एम., मिशन कर्मयोगी, लेटरल एंट्री, संथानम समिति, लोकपाल

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को प्रशासन औपनिवेशिक विरासत के रूप में मिला, जो राजस्व एकत्र व कानून व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकताओं के अनुरूप था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के सामने अनेक समस्याएँ थी। जिनमें रजवाड़ों का एकीकरण व शरणार्थियों व विस्थापितों की गम्भीर समस्याएँ मुख्य थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक व आर्थिक विकास को स्थापित करना था इसलिए प्रशासन का सुदृढ़ व विकेन्द्रीकृत करना आवश्यक था ताकि लोगों के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

भारतीय प्रशासनिक ढाँचा प्रमुखतः ब्रिटिश शासन प्रणाली पर ही आधारित है। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढाँचागत और कार्यप्रणालीगत पक्षों, जैसे—सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएँ, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखापरीक्षा केंद्रीय करों की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि ब्रिटिश शासन में भी निहित हैं। भारत सरकार ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ किये जिनमें विभिन्न समितियों व आयोग का गठन किया गया।

प्रशासनिक सुधारों से आशय

प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य है प्रशासन में इस प्रकार से सुनियोजित परिवर्तन लाना है जिनसे वह अपनी क्षमताएँ बढ़ा

सके। एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके।

प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित बदलाव लाए जाते हैं जिससे प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होती है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहूलियत होती है। आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक क्षेत्र को चौकस और चाक-चौबंद रहना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो अपेक्षित सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से किसी भी विभाग या संगठन को आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतया योजनाओं का अपेक्षित परिणाम न मिलने या सार्वजनिक हित के कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोताही दिखाई देने पर प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और यह प्रक्रिया विकसित देशों में भी दिखाई देती है और विकासशील देशों में भी।

प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता

ब्रिटिश काल में शासन में प्रशासन से तात्पर्य मुख्यतः कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना था, लेकिन देश के आजाद होने के बाद नए माहौल में आवश्यकताएँ बदलने के साथ ही प्रशासनिक सुधारों की जरूरत महसूस की गई। आजादी के बाद देश में सामाजिक व आर्थिक संरचना में बड़े परिवर्तनों के लक्ष्य के मद्दे नजर पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ की गईं, जिनके लिए प्रशासनिक ढाँचे में सुधार अपेक्षित था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार व अन्य खामियों को नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता थी। इसके अलावा लोगों की आवश्यकताएँ निरंतर बदलती रहती है और प्रशासन को भी उन्हीं के अनुरूप बदलना पड़ता है। यह परिवर्तन ही है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया के दोषपूर्ण कार्य संचालन को ठीक करने का काम करता है अर्थात् प्रशासनिक सुधारों की मांग करता है। यदि प्रशासन में सुधार नहीं किया जायेगा तो वह जनता के लिए पीड़ादायक वैषम्यपूर्ण हो जायेगा इसलिए आवश्यकता है कि सतत व व्यवस्थित परिवर्तन के लिए प्रशासन में समय-समय पर सुधार किया जाये।

भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रम

ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधारों के लिए एचिसन आयोग, ली आयोग तथा इस्लिंगटन आयोग गठित किये गए थे। इसके

अलावा लोक सेवा के विकासक्रम में वर्ष 1918 में मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट सामने आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1947 में 'सचिवालय पुनर्गठन समिति', वर्ष 1948 में उद्योगपति कस्तूरभाई लालभाई के नेतृत्व में 'मितव्ययिता समिति', वर्ष 1949 में 'आयंगर समिति' ने अपने-अपने सुझाव दिये। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार हेतु समय-समय पर निम्नलिखित समिति का गठन किया गया—

ए.डी. गोरेवाला समिति

इसके बाद मार्च 1951 में ए.डी. गोरेवाला समिति ने 70 पृष्ठों में 'लोक प्रशासन पर रिपोर्ट' पेश की। इसमें प्रशासन में सर्वोत्तम महत्व के विषयों को प्राथमिकता, निश्चित परिणामों की आशा में अत्यधिक खर्च न करना, कर्मचारियों का ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं निष्पक्ष होना, मंत्रियों, विधायकों तथा प्रशासकों में उत्तरदायित्व की भावना होना तथा भर्ती, प्रशिक्षण आदि की उचित व्यवस्था होने जैसी महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की गईं।

पॉल एप्पलेबी की रिपोर्ट

इसके बाद प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए सरकार ने सितंबर 1952 में अमेरिका के लोक प्रशासन विशेषज्ञ पॉल एप्पलेबी से भारत आने का आग्रह किया। उन्होंने 15 जनवरी, 1953 को 'भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण' रिपोर्ट पेश की जिसे एप्पलेबी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि "भारत विश्व के उन 10-12 देशों में शामिल है जहाँ का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित एवं विकसित है।"

वर्ष 1956 में एप्पलेबी रिपोर्ट का दूसरा भाग सामने आया। इन दोनों रिपोर्ट्स में राज्यों को अधिक स्वायत्तता, लोक प्रशासन में अनुसंधान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना, केंद्र में संगठनात्मक एवं प्रक्रिया इकाई की स्थापना, योजना आयोग का कार्य केवल योजना बनाने तक सीमित रखना, प्रत्येक विभाग में मध्यवर्गीय अधिकारियों की बहाली, सभी राज्यों में कृषि आयकर लगाने, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करने जैसी सिफारिशें की गईं। इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप ही सरकारी कार्य की गति और गुणवत्ता सुधारने, हेतु व प्रक्रिया की सरल बनाने के लिए मंत्रीमण्डल सचिवालय में संगठन और पद्धति प्रभाग स्थापित किया।

संथानम समिति

भ्रष्टाचार के कारणों का अध्ययन करने भ्रष्टाचार को रोकने तथा विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा हेतु संथानम समिति का गठन किया गया। भारत जब आजाद हुआ तब भी लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। भ्रष्टाचार रोकने के लिए व तात्कालिक तंत्र की समीक्षा और सुझाव के लिए तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के. संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। वर्ष 1962 में गठित इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। इसके अलावा पहली बार 'लोकपाल' नामक संस्था का विचार भी संथानम की रिपोर्ट से ही निकला हुआ माना जाता है।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग

5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। बाद में मोरारजी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाने की वजह से के. हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर, 1966 को तथा दूसरी रिपोर्ट 30 जून, 1970 को पेश की जिनमें कुल 578 सुझाव दिये गए थे। इनमें प्रमुख थे—

- लोक प्रशासकों के विरुद्ध जनता के अभियोगों के निराकरण हेतु 'लोकपाल' एवं 'लोकायुक्त' की नियुक्ति की जाए।
- मंत्रिपरिषद का आकार आवश्यकतानुसार रखा जाए।
- प्रधानमंत्री के अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना की जाए।
- प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री एवं किसी भी मंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं बनाया जाए।
- योजना आयोग की अधिकतम सदस्य संख्या 7 रखी जाए।
- संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 'अंतर्राज्य परिषद' की स्थापना की जाए।
- सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार न देना तथा उनकी समस्याएँ संयुक्त विचार-विमर्श एवं 'नागरिक सेवक न्यायाधिकरण' के माध्यम से हल की जाए।

- लेखा परीक्षा का दृष्टिकोण सकारात्मक व रचनात्मक हो।
- विभागों की वित्तीय क्षमता का विकास किया जाए।
- वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से होनी चाहिए।
- सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 'क्षेत्रक निगम प्रणाली' तथा 'लेखा परीक्षा मण्डल' आदि की व्यवस्था की जाए।
- सरकारी अधिकारियों को अस्थायी रूप से लोक उपक्रमों में भेजने की प्रथा समाप्त की जाए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

31 अगस्त, 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 'द्वितीय प्रशासनिक आयोग' का गठन किया। इस पाँच सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। इस आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत् प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके अलावा आयोग ने निम्नलिखित पर भी अपने सुझाव दिये—

- भारत सरकार का संगठनात्मक ढाँचा
- शासन में नैतिकता
- कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना
- वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढीकरण
- राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के उपाय
- प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के उपाय
- स्थानीय स्व-शासन और पंचायती राज संस्थान
- सामाजिक पूंजी, विश्वास और भागीदारपूर्ण सरकारी सेवा प्रदायगी
- नागरिक केंद्रित प्रशासन
- ई-प्रशासन को प्रोत्साहित करना
- संघीय राजतंत्र के मुद्दे
- संकट प्रबंधन या आपदा प्रबंधन
- सार्वजनिक व्यवस्था

नौकरशाही में सुधार के लिए द्वितीय प्रशासनिक आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश में कहा गया था कि 14 वर्षों की सेवा के बाद की जाने वाली समीक्षा मुख्यतः लोक सेवकों को उनके मजबूत और कमजोर पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से होनी चाहिए। वहीं, 20 वर्षों की सेवा के बाद की

जाने समीक्षा का उद्देश्य यह तय करना होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक आगे सेवा में रहने योग्य है अथवा नहीं।

कोठारी समिति, 1976

श्री डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में संघ लोक सेवा आयोग ने 1976 में अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय समूह के 'क' और 'ख' सेवाओं के लिए भर्ती की प्रणाली की जाँच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए भर्ती और चयन प्रणाली समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय समूह के गैर तकनीकी सेवाओं के लिए एक ही परीक्षा की सिफारिश की।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1977

पुलिस आयोग का गठन श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के विशेष संदर्भ पुलिस की भूमिका और कार्यों, मजिस्ट्रेटरी पर्यवेक्षण के तरीके, जाँच और अभियोजन की प्रणाली और अपराध रिकार्डों के रखरखाव की जाँच करने के लिए गठित की गई थी। आयोग ने पाँच सौ से अधिक सिफारिशों की, इसमें पुलिस प्रशासन से संबंधित व्यापक हित के क्षेत्र शामिल थे।

आर्थिक सुधार आयोग, 1981

आयोग का गठन एल.के. झा. की अध्यक्षता में किया गया। आयोग को सौंपे गए मुख्य कार्य सुधारों के सुझाव देने की दृष्टि से, आर्थिक प्रशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अध्ययन से संबंधित थे। आयोग ने सरकार को कई रिपोर्टें प्रस्तुत की जिनमें नई अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करने की आर्थिक प्रशासनिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की वकालत की गई थी।

केन्द्र राज्य संबंध आयोग, 1983 (सरकारिया आयोग)

श्री आर.एस. सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसके विचारार्थ विषय थे—सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं की जाँच करना तथा समीक्षा करना और आवश्यक परिवर्तनों तथा उपायों की सिफारिशें करना।

भारतीय संविधान के कार्यकारण की समीक्षा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वैकटचोलिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग 2000-03 में गठित किया गया।

वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधारों हेतु किये जाने वाले कार्यक्रम

केन्द्र सरकार ने हाल ही के वर्षों में शासन को अधिक सुलभ बनाने के लिए सुधारों की रूप रेखा बनाई है। जिससे अधिक दक्षता, परादर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त शासन को स्थापित किया जा सके

मिशन कर्मयोगी—यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान सक्षम पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है।

लेटरल एंट्री—लेटरल एंट्री का अर्थ है जब निजी क्षेत्र के कर्मिकों का चयन सरकारी प्रशासनिक पद पर किया जाता है। भले ही उनका चयन नौकरशाही व्यवस्था में हो या न हो लेटरल एंट्री सरकारी क्षेत्र में मितव्ययिता, दक्षता व प्रभावशीलता के मूल्यों को बढ़ाने में मदद करती है। यह सरकारी क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन की संस्कृति के निर्माण में मदद करती है।

ई-समीक्षा—यह महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में शीर्ष स्तर पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के आधार पर निगरानी और अनुवर्ती कारवाई के लिए एक वास्तविक समय आनलाइन प्रणाली है। यह नौकरशाही में कामचोरी पर लगाम लगाने हेतु एक डिजिटल मॉनीटर है।

ई-ऑफिस—मंत्रालयों/विभागों को कागज रहित कार्यालय में बदलने और कुशल निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना (MMP) को मजबूत किया गया।

सिटीजन चार्टर—सरकार ने सभी मंत्रालयों के लिए सिटीजन चार्टर अनिवार्य कर दिया है। जिन्हें नियमित आधार पर अपडेट करने के साथ ही समीक्षा भी की जाती है। यह एक लिखित दस्तावेज है। जो नागरिकी/ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवा प्रदाता के प्रयासों के बारे में बताती है।

सुशासन सूचकांक 2019—यह राज्य सरकार और केंद्रशासीत प्रदेशों द्वारा किये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन की स्थिति और प्रभाव का आकलन करता है।

- सुशासन सूचकांक का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान करना है, राज्यों और केंद्रशासित

प्रदेशों को शासन में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने व लागू करने तथा परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण एवं प्रशासन में बदलाव के लिए सक्षम बनाना है।

- इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।

केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

- यह लोक शिकायत निदेशालय तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है।
- किसी भी भौगोलिक स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नागरिक को संबंधित विभागों के साथ की जा रही शिकायत को ऑनलाइन ट्रेक करने में सक्षम बनाता है और डीएआरपीजी को शिकायत की निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मुल्यांकन: इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आकलन करना है। 2014 में और उसके बाद 2020 में 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार' योजना का व्यापक पुनर्गठन।

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- यह सरकार को ई-गवर्नेंस पहल से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- 2020 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

निष्कर्ष

सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् से लेकर वर्तमान समय तक भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन इस

प्रकार किया जा रहा है कि प्रशासक अधिक दक्ष व कार्यकुशल हो सके तथा जनता व प्रशासकों के मध्य सहयोग की भावना विकसित हो सके, अर्थव्यवस्था नियोजित हो सके एवं शक्ति का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण हो सके।

सुधार एक गतिशील अवधारणा है जिसे देश के विकास के लिए जारी रखना होगा। संविधान की उद्देशिका और नीति-निदेशक तत्व, दोनों ही सरकार और प्रशासन तंत्र के मार्गदर्शक हैं। ये देश में सुशासन को स्थापित करने व सरकार व प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेही बनाते हैं। सरकारी मशीनरी की निरन्तरता के लिए प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण हैं। हाल ही के वर्षों में प्रभावकारी और संवेदनशील सरकार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रमुख सुधार हुए हैं। जिससे प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो गया है तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त भी पूर्णरूप से लागू हो गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अवस्थी एवं पी. अवस्थी, भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, उत्तरप्रदेश, 2011, पृ.सं. 127,128
2. पंत जे.सी., राजस्व, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2005, पृ.सं. 95, 97
3. शर्मा, प्रभुदत्त एवं शर्मा, हरिशचन्द्र, लोक प्रशासन सिद्धान्त व व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2009, पृ.सं. 212,215
4. एम. लक्ष्मीकांत, लोक प्रशासन, टाटा मैकग्राहिल, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 180,186,188
5. अवस्थी, अग्नेश्वर एवं माहेश्वरी, श्री राम, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2002, पृ.सं. 77,78
6. त्यागी, एम.आर., पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आत्मा राम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 157, 158
7. दुबे आर.के., आधुनिक लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2002, पृ.सं. 202
8. शर्मा, एम.पी., एवं सडाना बी.एल., पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरी एण्ड प्रैक्टिस, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, 2003, पृ.सं. 186, 188
9. शरण, परमात्मा, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2001, पृ.सं. 175,177
10. सिंहल, एस.सी., लोक प्रशासन के तत्व, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2002, पृ.सं. 187